डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

आज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी सीमलवाडा श्री राकेश कुमार न्योल

प्रकरण संख्या– 82/2021 रेवेन्यु

शंकर बनाम भुमिधारी

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 रा.टी.एक्ट, धारा 136 भु राजस्व अधिनियम , सपठित धारा 212 रा.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरूः– श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरीः–

श्री बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई उपस्थित व मिनजानिब मुदायलाह की ओर उपस्थित, कार्यवाही का होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि–

मौजा मेवडा में वादी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 2486/167 रकबा 5 बीघा जो कि गलत दर्ज है। नया राजस्व गांव लाम्बा पीपला बना है। आराजी नम्बर 2486/167 के स्थान पर वास्तविक खसरा नम्बर 2486/1867 है। ऐसे में ग्राम मेवडा से खसरा नम्बर 2486/167 रकबा 5 बीघा को हटाकर इसे नवीन ग्राम लाम्बा पीपला में सम्मिलित कर वादी के नाम मौजा लाम्बा पीपला में खसरा नम्बर 2486/1867 रकबा 5 बीघा दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाने आदेश किया जाता है।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 18.06.2024 को जारी की गई

दस्तखत. उपखण्ड अधिकारी . . .
ओहदा . . सीमलवाडा . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत म्हेनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी म्हेनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार न्योल

प्रकरण सख्याः—82/2021 रेवेन्यु निर्णय दिनांकः—18.06.2024

1 श्री शंकर पिता भैरुसिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी मेवडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री भुमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 रा.टी.एक्ट, धारा 136 भु राजस्व अधिनियम सपठित धारा 212 रा.टी.एक्ट

अधिवक्ता वादीः— बालगोविन्द पाटीदार उपस्थित

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी गांव मेवडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है व मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। वादी के कब्जे काश्त की कृषिभुमि ग्राम लांबापीपला में खसरा नम्बर 2486/1867 खेत किता 1 कुल रकबा 5.00 बीघा होकर स्थित है। वर्तमान में कब्जा मौके पर वादी का यथावत रूप से बना हुआ है। वादी ने अपने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी पर लोन लेने हेतु वादी ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की मौजा मेवडा में खसरा नम्बर 2486/167 रकबा 5.00 बीघा हाल जमाबंदी में खाते में दर्ज अंकित है जिस पर वादी ने उसके नाम आवंटन के पश्चात गैर खातेदार का खोले गये नामांतरण संख्या 125 व खातेदार काश्तकार के लिये दर्ज नामान्तरण सख्या 511 की नकल निकलवायी तो पता चला कि खसरा नम्बर 1867 में से आवंटन होने पर नया खसरा नम्बर 2486/1867 द्वारा खातेदार वादी को 5.00 बीघा भुमि आवंटित हुई है। लेकिन खातेदार हक देने के लिये खोले गये नामान्तरण सख्या 511 मे राजस्व कर्मचारीयों की गलती से खसरा नम्बर 2486/1867 के स्थान पर 2486/167 दर्ज कर दिया गया है। जबकि वास्तविक खसरा नम्बर 2486/1867 होना था। इसके साथ ही नया राजस्व गांव लांबा पीपला बनने से खसरा नम्बर 1867 वर्तमान जमाबंदी अनुसार मौजा लांबापीपला में रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की गलती के कारण खसरा नम्बर 2486/167 का नामान्तरण खोलने से मौजा मेवडा में दर्ज हो गया है। परन्तु वास्तविक 2486/1867 खसरा नम्बर मौजा लांबापीपलाा में दर्ज होगा। ऐसे में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर राजस्व कर्मचारी से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन प्रतिवादी व राजस्व कर्मचारी ने अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि मे पेश है।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरीए नोटिस तलब किये गये। सुचना के बाद प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अंकित किया गया है कि वाद की बिन्दु संख्या 1 से 5 स्वीकार है। बिन्दु संख्या 6 से 12 माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार सं संबंधित है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी को ग्राम मेवडा में आराजी नम्बर 1867 में 5 बीघा भूमि आंवटन हुई थी खातेदारी हक का नामान्तरण दर्ज करने में लिपिकिय भूल से आराजी नम्बर 2486/1867 के स्थान पर 2486/167 के अंकित हो गया जो कि वास्तक में 2486/1867 दर्ज होना था। राजस्व ग्राम मेवडा से नवीन राजस्व ग्राम लाम्बा पीपला सृजित हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 167 ग्राम मेवडा की सीमा में आया जबकि खसरा नम्बर 1867 ग्राम लाम्बा पीपला के सरहद में आया। लिखने में लिपिकिय भूल हुई है। अतः राजस्व ग्राम मेवडा से आराजी नम्बर 2486/167 रकबा 0.8094 हैक्टेयर हटाकर इसे नवीन राजस्व ग्राम लाम्बा पीपला में सम्मिलित कर वादी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तो प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया राजस्व कर्मचारीयों की गलती से खसरा नम्बर 2486/1867 के स्थान पर 2486/167 दर्ज कर दिया गया है। जबकि वास्तविक खसरा नम्बर 2486/1867 होना था। इसके साथ ही नया राजस्व गांव लांबा पीपला बनने से खसरा नम्बर 1867 वर्तमान जमाबंदी अनुसार मौजा लांबापीपला में रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की गलती के कारण खसरा नम्बर 2486/167 का नामान्तरण खोलने से मौजा मेवडा में दर्ज हो गया है। परन्तु वास्तविक 2486/1867 खसरा नम्बर मौजा लांबापीपलाा में दर्ज होगा। ऐसे में ग्राम मेवडा से खसरा नम्बर 2486/167 रकबा 5 बीघा को हटाकर इसे नवीन ग्राम लाम्बा पीपला में सम्मिलित कर मौजा लाम्बा पीपला में खसरा नम्बर 2486/1867 रकबा 5 बीघा दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, प्रतिवादी की जांच रिपोर्ट, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेजों, पत्रावली, पटवारी एवं तहसीलदार सीमलवाडा की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें राजस्व कर्मचारीयों की गलती से खसरा नम्बर 2486/1867 के स्थान पर 2486/167 दर्ज कर दिया गया है। जबकि वास्तविक खसरा नम्बर 2486/1867 होना था। इसके साथ ही नया राजस्व गांव लांबा पीपला बनने से खसरा नम्बर 1867 वर्तमान जमाबंदी अनुसार मौजा लांबापीपला में रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की गलती के कारण खसरा नम्बर 2486/167 का नामान्तरण खोलने से मौजा मेवडा में दर्ज हो गया है। ऐसे में वादी के नाम मौजा लाम्बा पीपला में खसरा नम्बर 2486/1867 दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

आदेश

प्रकरण में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मेवडा में वादी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 2486/167 रकबा 5 बीघा जो कि गलत दर्ज है। नया राजस्व गांव लाम्बा पीपला बना है। आराजी नम्बर 2486/167 के स्थान पर वास्तविक खसरा नम्बर 2486/1867 है। ऐसे में ग्राम मेवडा से खसरा नम्बर 2486/167 रकबा 5 बीघा को हटाकर इसे नवीन ग्राम लाम्बा पीपला में सम्मिलित कर वादी के नाम मौजा लाम्बा पीपला में खसरा नम्बर 2486/1867 रकबा 5 बीघा दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाने आदेश किया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी, सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी, सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner